EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 10, Issue 2, July-December, 2021, Impact Factor: 7.687 Available online at: www.eduzonejournal.com

भारत एक कल्याणकारी राज्य

Dr. Rajkumar Siwach

Associate Professor, Govt. College Jassia (Rohtak)-124303

आधुनिक युग कल्याणकारी राज्य का युग है। आधुनिक समय में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने कल्याणकारी राज्य की धारणा को व्यावहारिक रूप से मान्यता न दी हो। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा का बोल-बाला रहा, जिसके अनुसार राज्य के कार्य बहुत सीमित रखे गए। राज्य के कार्य केवल पुलिस कार्य तक ही सीमित रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई तथा पूँजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया जिसके कारण समाजवादी व्यवस्था का जन्म हुआ और आर्थिक क्षेत्र में सरकार का नियन्त्रण बढ़ने लगा। पूँजीवादी व्यवस्था को बदलना अनिवार्य समझा जाने लगा। समाजवाद की स्थापना रूस की 1917 ई० की क्रांति के बाद देखने को मिली, परन्तु वहाँ साम्यवादी दल की तानाशाही के कारण जनता की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई। अतः यह व्यवस्था भी प्रजातंत्रीय देशों को स्वीकार न हुई। इसलिए एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसको कल्याणकारी राज्य की विचारधारा कहा जा सकता है। इस अध्याय में हम स्पष्टता हेतु कल्याणकारी राज्य के उदय के कारणों के पश्चात् कल्याणकारी राज्य के अर्थ, विशेषताएँ, उद्देश्य, कार्य एवं उसकी सीमाएँ एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में भूमिका का उल्लेख करेंगे। कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त का वर्णन धार्मिक ग्रन्थों में भी मिलता है। राज्य के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए महाभारत में कहा गया है कि अपनी प्रजा के जीवन को सम्पन्न बनाना राजा का परम धर्म है। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक शास्त्री कौटिल्य के अनुसार, "सर्वश्रेष्ठ राजा वह है जो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा और अधिक-से-अधिक जनकल्याण करता है।" व्यक्तिवादी सिद्धान्त का 18वीं शताब्दी में अत्यधिक प्रचार हुआ है और उन्नीसवीं शताब्दी में यह सिद्धान्त बहुत बल पकड़ गया। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का कार्य केवल शान्ति स्थापित करना, लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना, देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना है। राज्य व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्तिवादी सिद्धान्त का सारांश यह है कि राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिएं और राज्य को व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा का प्रबन्ध करना, चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल आदि खोलना, यातायात के साधनों का प्रबन्ध करना और व्यक्ति की आर्थिक अवस्था को सुधारना व्यक्तिवादियों की विचारधारा के अनुसार राज्य के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। राज्य को केवल शान्ति स्थापित करने, देश को बाह्य आक्रमणों से बचाने और लोगों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के कार्यों तक ही सीमित रहना: न्वाहिए। पूँजीवाद के विकास के कारण साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। साम्राज्यवाद के ही कारण बीसवीं सदी में दो विश्वयुद्ध, प्रथम सन् 1914-18, दूसरा सन् 1939-45 में हुए, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए तथा अरबों रुपए की सम्पत्ति का नाश हुआ। इस विनाश से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना सन् 1945 में की गई जिसका उद्देश्य केवल राष्ट्रों के आपसी युद्धों को रोकना ही नहीं है वरन् राष्ट्रों की राजनीतक स्वतन्त्रता की रक्षा करना मानवीय अधिकारों का संरक्षण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विश्व की समस्त मानवता की भलाई करना भी है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तथा कार्यों का राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ना निश्चित ही है। इसलिए संसार के सभी राज्य, भले ही वे किसी विशेष राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विचारधारा में विश्वास रखते हों अपने कार्य-क्षेत्र को कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप बना रहे हैं। अतः राज्यों के कार्य-क्षेत्र जनहित या लोक-कल्याण की दिशा में बढ़ रहे हैं। "कल्याणकारी राज्य साम्यवाद तथा अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। सभी दोषों के होते हुए भी कल्याणकारी राज्य एक मानवीय तथा उन्नत समाज का नमूना पेश करता है। कल्याणकारी राज्य जीवन का कम-से-कम स्तर प्रदान करने का उत्तरदायित्व लेता है जो व्यक्तिगत उद्योगों के प्रोत्साहन को बिना ठेस पहुँचाए होता है और ऊँची आय पर अधिक कर लगाकर, सीमित रूप में आय का वितरण करता है, तब भी वह नागरिकों में आर्थिक समानता स्थापित नहीं करता। यह बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि की दिशा में पर्याप्त सहायता देता है। "कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास

तथा अवसर प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होते हैं। "राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह यह देखें कि सामाजिक और आर्थिक दशाएँ, जिनमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है, ऐसी हों कि वह अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सके और अपने अस्तित्व को सार्थकता सिद्ध कर सके।' कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, जो स्वयं को जनता का प्रभु नहीं समझता, अपितु मानव जाति का सेवक समझता है। मानव कल्याण राज्य की मुख्य विशेषता है। यहां यह बात वर्णनीय है कि सभी राज्यों को जो जनहित के लिए कार्य करते हैं कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता। कई ऐसे निरंकुश राजा भी हुए जिन्होंने स्वयं को प्रजा का सेवक माना और प्रजा के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये। नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए उसे अधिकार के रूप में रोटी कपड़ा और मकान आदि की कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर राज्य की ओर से हो। इसके अलावा जीवन का आनन्द भोगने के लिए उपयुक्त साधन मिलने चाहिएँ। मेरोज़गारी बीमारी वृद्धाव्यवस्था के दुःख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। बच्चों का होना माता पिता के लिए कष्ट और निर्धनता का कारण नहीं बनने देना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएँ नागरिकों को अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। नागरिक को देश की समस्याओं के बारे में अपने विचारों को प्रकट करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतन्त्रता हो। राज्य का उद्देश्य है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। इसके अनुसार राज्य उन सब भेदों को दूर करने का प्रयत्न करेगा जो इस जाति, वंश, रंग, धर्म, राष्ट्र या अन्य किसी आधार पर आधारित हैं। समाज में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, जो समाज में जन्म लेता है, जीवन सम्बन्धी सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने का समान अधिकार है तथा किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरे के सुख का बलिदान नहीं किया जा सकता। कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि देश के मजदूर वर्ग की दशा को सुधारने की पूरी कोशिश करे। उनके लिए उचित वेतन, भत्ते, काम करने के घंटे, स्वास्थ्य, शिक्षा, अयोग्य होने की स्थिति में बीमा, मुसीबतों से सुरक्षा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य के नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास हो। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को यातायात तथा आवागमन के साधनों का अधिक-से-अधिक विकास करना चाहिए। सड़क, रेल, वायुयान, रेडियो आदि की व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए। राज्य के नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास हो। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें शिक्षा-संबंधी सुविधाएँ दी जाएँ। शिक्षा एक निश्चित स्तर एक निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में गांवों की परिस्थितियों को देखते हुए बालकों को शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे कि बालकों को भाषा संबंधी कठिनाई न हो। वह नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबन्ध करे। राज्य भर में सफाई रखने, रोगों का इलाज करने तथा रोगों की रोकथाम करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य में सफाई के लिए नालियों आदि का प्रबन्ध करे और कड़े या गन्दगी के ढेरों को साफ कराने का भी प्रबन्ध किया जाए। जिन गंदे क्षेत्रों में कीटाणु पैदा होते हैं, उन्हें यहाँ से समाप्त कर देना चाहिए। दूसरे, बीमारी का इलाज किया जाए। तीसरे, ऐसी व्यवस्था की जाए कि बीमारियाँ पैदा न हो। नागरिकों को इस विषय के बारे में उचित ज्ञान कराया जाए। खेती के अच्छे साधनों, जैसे अच्छे बीज, सिंचाई व खाद की व्यवस्था की जाए और साथ ही तकनीकी साधनों व उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध किया जाए। खेती के लिए प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। पशुओं के विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए कुटीर उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाना बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार का शोषण न हो तथा कृषि और उद्योगों में सन्तुलन बना रहे। नागरिकों का आर्थिक विकास हो, बल्कि उनका नैतिक विकास भी होना चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के सामाजिक विकास में पूर्ण सहायता दे। समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, बाल-विवाह, छूआछूत, जाति-पाति की संकीर्ण भावना, धार्मिक अंधविश्वास आदि को समाप्त करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है तथा गरीबी और बेरोजगारी भी है, वहाँ परिवार नियोजन को कल्याणकारी राज्य के कामों में शामिल किया जा सकता है। देश की बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव लोगों की आर्थिक दशा पर पड़ता है। इसलिए परिवार नियोजन तभी सफल हो सकता है, जब नागरिक उसमें सहयोग दें। राज्य सड़कें बनवाने, डाक-तार व्यवस्था स्थापित करने, रेलें इत्यादि चलाने का कार्य भी करता है। बिजली-पानी की व्यवस्था, टेलीफोन सेवा, रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण का कार्य राज्य ही ठीक तरह कर सकता है। कृषि की उन्नति तथा विकास से ही राज्य अपनी खाद्य-समस्या को हल कर सकता है। जिस राज्य में अनाज की कमी होती है, उसे दूसरे राज्य की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि यह अपने किसानों को अच्छे बीज, खाद, पानी, ट्रैक्टर आदि

साधनों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। व्यक्तियों को आमोद-प्रमोद के स्वस्थ और सस्ते साधन उपलब्ध कराए। विशाल पैमाने पर इन साधनों को जुटाना राज्य का ही कार्य है। नदी, झील अथवा सागर के किनारों को विकसित करना, झरने, पहाड़ और प्रपातों के समीप मनोरम स्थल बनाना, खेलकूद के मैदान बनाना और उसके लिए सुविधाएँ प्रदान करना, नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रतिदिन जीवन की कठोरता को कम करने के लिए राज्य को मनोरंजन की सुविधाओं का प्रबन्ध अवश्य करना चाहिए। इसलिए आजकल राज्य सिनेमाघरों, कला-केन्द्रों, सार्वजनिक तालाबों, खेल-कूद के मैदानों, अखाड़ों, बागों और पार्कों आदि का प्रबन्ध करता है। संगीत, नाटक और साहित्यिक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दिये जाते हैं। कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाने वाली कल्याणकारी स्वरूप के अनेक कार्यों में से बुजुर्गों की देखभाल करना एक आवश्यक कार्य है। बुजुगों की देखभाल करने का कार्य चाहे उनकी संतान की जिम्मेदारी है, परन्तु यह जिम्मेदारी नैतिक स्वरूप की है और आधुनिक भौतिकवादी युग में वर्तमान युवक इस जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं इसलिए कल्याणकारी राज्य को बुजुर्गों की देखभाल का विशेष ध्यान देने की और भी अधिक आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना आधुनिक राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस व्यवस्था में ही बुर्जुगों की देखभाल करने का कार्य शामिल है। राज्य द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष आश्रमों का प्रबन्ध किया जाता है जहां बुजुगों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। बेसहारा व्यक्ति की देखभाल करना आधुनिक कल्याणकारी राज्य का महत्त्वपूर्ण कार्य है। यदि राज्य ऐसे व्यक्तियों की देखभाल नहीं करेगा तो बेसहारा व्यक्ति समाज पर ऐसा बोझ सिद्ध होंगे जो सामाजिक शान्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उन्नत देशों में बुजुर्गों, बेरोजगारों और बेसहारा लोगों की देखभाल करने के लिए राज्य द्वारा बड़े अच्छे प्रबन्ध किए गए हैं। परन्तु पिछड़े और विकासशील देशों में ऐसे प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है। सभी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी अधिक पिछड़े होते हैं। राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था समानता के अधिकार देने से इन वर्गों के लोग दूसरे उन्नत वर्गों के लोगों के समान नहीं हो सकते हैं। इन पिछड़े वर्गों के लोगों को दूसरे उन्नत वर्गों के लोगों के समान लाने के लिए उन को कुछ विशेष सुविधाएं और रियायतें देनी अनिवार्य होती हैं। चाहे ऐसी विशेष रियायतें और सुविधाएं समानता के कानूनी अधिकार की धारणा अनुसार नहीं होतीं, परन्तु आवश्यक कल्याणकारी राज्य के लिए पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि ऐसी सुविधाओं के बिना पिछड़े वर्गों के लोग न तो योग्य विकास कर सकते हैं और न ही उन्नत वर्गों के लोगों की सामाजिक समानता करने का साहस कर सकते हैं। राज्यों को प्राकृतिक साधनों का खजाना समान रूप में प्राप्त नहीं होता है। कुछ अनुभव राज्यों के पास प्राकृतिक साधन बहुत ही अधिक होते हैं, जबकि कुछ दूसरे राज्य प्राकृतिक साधनों का अभाव करते हैं। परन्तु कुछ भी हो, थोड़े बहुत प्राकृतिक साधन प्रत्येक राज्य के पास हैं। जो राज्य अपने प्राकृतिक साधनों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उस राज्य की अर्थ व्यवस्था निश्चय ही अच्छी होती है। आधुनिक युग में औद्योगिक विकास ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बना सकता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के कारण अनेक प्रकार के औद्योगिक आविष्कार विश्व के सामने आ रहे हैं। प्रत्येक देश नए से नए औद्योगिक आविष्कार में प्रयत्नशील हैं क्योंकि किसी देश का औद्योगीकरण ही उस के आर्थिक विकास को यकीनी बना सकता है। औद्योगिक विकास गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक सिद्ध होता है। समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक मेले लगते। हैं जिन में भिन्न-भिन्न देश अपने औद्योगिक विकास का प्रदर्शन करते हैं। कृषि का विकास भी वास्तव में औद्योगिक विकास के साथ ही सम्बन्धित है राज्य द्वारा ऐसा कार्य न किया जाए तो किसी अविकसित देश के कुटीर उद्योग उन्नत नहीं हो सकेंगे और ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था धनी और विकसित देशों की नीतियों की दास बनकर रह जाएगी। विकसित देश अपने उत्पादन को अविकसित देशों में सस्ते भाव पर बेचने का प्रयत्न करेंगे और उनकी ऐसी नीति का परिणाम यह होगा कि अविकसित देशों का अपना औद्योगिक विकास उचित रूप से नहीं हो सकेगा। औद्योगिक विकास के कारण शहरीकरण का भी बहुत विकास हो रहा है। जहां कहीं भी उद्योग स्थापित किये गये हैं वहां अनेक नई बस्तियों का उदय हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले में शहरी क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग अधिक संख्या में शहरों में जा रहे हैं। इसी कारण अनेक प्रकार की शहरी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण शहरी समस्याओं में वृद्धि हुई है। अनेक समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या योग्य मकानों के अभाव के साथ सम्बन्धित है। जीवन की दैनिक सुविधाओं का अभाव भी शहरों

में प्रायः महसूस किया जाता है। सभी समस्याओं का सही ढंग से समाधान करना राज्य के शहरी विकास के कार्यों का अनिवार्य भाग है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षरता, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन अधिक स्तर पर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की सुविधाओं का अभाव है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं भी कम मिलती हैं। ग्रामीण लोगों में गरीबी और बेरोजगारी व्यापक स्तर पर मिलती हैं। ग्रामीण स्त्रियां भी आधुनिक सभ्यता के वरदानों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना ग्रामीण विकास के लिये अनिवार्य है। यातायात के साधनों को योग्य विकास पर लोगों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी निर्भर करती है। यातायात के साधनों की उपलब्धता दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री को भिन्न-भिन्न स्थानों पर समय पर पहुंचाने के लिये सहायक सिद्ध होती है। देश की सुरक्षा के पक्ष में भी यातायात के साधनों के विकास का बहुत महत्व है। आधुनिक राज्य यातायात के केवल जमीनी साधनों को ही विकसित नहीं करता, अपितु हवाई और समुद्री साधनों के विकास को भी यकीनी बनाता है। कृषि का विकास काफी सीमा तक सिंचाई के योग्य साधनों के विकास पर निर्भर करता है। इसी कारण आधुनिक राज्य सिंचाई के साधनों के विकास के प्रति विशेष ध्यान देता है। बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाया जाता है। आधुनिक राज्य आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन लाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। राज्य नागरिकों के आर्थिक जीवन को ऊँचा उठाने के लिए अनेक उपाय करता है। आज का राज्य आर्थिक व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखता आर्थिक परिवर्तन लाने में समयबद्ध योजनाओं का बहुत महत्त्व है। योजनाबंदी प्रत्येक देश के विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक राज्य योजनाएँ बनाकर आर्थिक प्रगति के लक्ष्य निश्चित करता है और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को संभव बनाता है। योजनाबंदी राज्य के आर्थिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण साधन है। 1 भारत एक कल्याणकारी राज्य ही है। नागरिकों का पूर्ण विकास और कल्याण ही भारत सरकार तथा भारत राष्ट्र का उद्देश्य है। संविधान में नागरिकों को नौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन पर सरकार भी आक्रमण नहीं कर सकती। देश के पिछड़े लोगों, दलित वर्गों को दी गई विशेष सुविधाएं यहाँ साबित करती हैं कि भारत आर्थिक तथा सामाजिक न्याय और समानता को मुख्य उद्देश्य मानता है। भारत सरकार अपने नागरिकों के शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास के लिए तभी सुविधाएँ प्रदान करती है। बेकारी दूर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। बड़ी-बड़ी योजनाएं और उद्योग सरकार ने स्थापित किए हैं जिससे लोगों को काम मिल सके। शिक्षा, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में सरकार सब तरह की सुविधाएँ और प्रोत्साहन नागरिकों को देती है। भाखड़ा नंगल बांध, मिताई का इस्पात कारखाना, आकाशवाणी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अनेक जन-कल्याण की योजनाएँ तथा भारतीय रेल विभाग, खेती के विकास के लिए किए जाने वाले अनेक कार्य, समाज में शोषण को रोकने के लिए मुख्य उद्देश्यों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि बहुत से ऐसे कार्य है जो यह सिद्ध करते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सरकार का कुछ-न-कुछ योगदान न हो।

सन्दर्भ सूची

[1] सक्षिप्त इतिहास, महेश कुमार वर्णमाल, Cosmos Publication – Delhi
[2] भारत का प्राचीन इतिहास, राम शरण शर्मा, Oxford University Press New Delhi
[3] Rajni Kothari Politics in India
[4] Subhash Kashyap Dal Badal aur Rajyon ki Rajneeti
[5] M.V. Paylee: Constitution Govt. in India
[6] Marris Jones W.H. : Parliament in India
[7] Palmer Narman D: The Indian Political System
[8] Basu Durga Das, Constitution of India
[9] Johri JC : Indian Govt & politics
[10] Gulshan Rai : Bhartiya Shashan & Rajneeti
[11] Nanda S.S : Bhartiya Sarkar aur Rajneeti